न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर राज0

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजीव कुमार खेदर, आर. ए. एस.
वाद संख्या :– 82/2024

शीर्षक

1. कैलाश कुमावत पुत्र श्री मदनलाल कुमावत, जाति कुमावत, निवासी बाडीजोडी, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)
2. लक्ष्मी देवी प्रजापत पत्नि कैलाश कुमावत, जाति कुम्हार, निवासी बाडीजोडी, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

– वादीगण

बनाम

1. दयावती पुत्री हनुमान
2. पिंकी पुत्री हनुमान
3. बुगला पुत्री हनुमान
4. मनभर पुत्री हनुमान
5. सुमन पुत्री हनुमान
6. हंसा पुत्री हनुमान
7. राकेश पुत्र हनुमान
8. लीलधर पुत्र हनुमान
9. अनोप देवी पत्नि हनुमान
   समस्त जातियान ब्राह्मण, निवासीयान रघुनाथपुरा, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)
10. उपपंजीयक शाहपुरा/मनोहरपुर, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)
12. शाखा प्रबंधक ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स शाखा शाहपुरा,जिला जयपुर (राज०)

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा धारा अनतर्गत 53, 188 आरटीएक्ट 1955

निर्णय दिनांक 24/12/25

प्रस्तुत वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि यहकि हाल आराजी खसरा नं0–339 रकया 1.8200 किता 1 कुल रकबा 1.8200 है० वाके ग्राम रघुनाथपुरा, पटवार हल्का साईवाड, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित है। जिसकी खातेदारी में वादी सं0–1 का 1/5 हिस्सा व वादी सं0–2 का 1/5 हिस्सा तथा 'शेष हिस्सा प्रतिवादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज व अंकित है। नकल जमाबन्दी सं0–2074 से 2077 खाता सं०–3 संलग्न वाद पत्र है। यहकि बाद पत्र की खण्ड सं0–1 में वर्णित भूमि प्रतिवादीगण सं0–1 लगायत 9 की सम्मलित की सहखातेदारी भूमि है जिसका आज तक कोई कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है वादीगण व प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राज.

उपरोक्त भूमि को अपने अपने हिस्सो के अनुसार आपसी राहमति से पृथक पृथक रूप से काबिज रहकर काश्त व उसका उपयोग च उपभोग करते आ रहे है व राज लगान अदा करते आ रहे है। यहकि वादीगण के हिस्से कब्जे की भूमि से प्रतिवादीगण या अन्य किसी का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध अधिकार व कब्जा नहीं रहा है एवं न ही वर्तमान में है। यहकि प्रतिवादीगण एक संगठित ताकतवर व झगडालू प्रवृति के व राजनैतिक पहुँच वाले घनबल व भुजवाले व्यक्ति है जिन्होने वादीगण के विरुद्ध एक नाजायज संगठन बना रखा है व वादीगण को उसके हिस्से व कब्जे की भूमि से जबरन बेदखल कर स्वंय कब्जा करना व भूमि में बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति व बिना कानूनी बंटवारा कराये पुख्ता निर्माण कार्य करना चाहते है जिसकी उन्होने वादीगण को 5 रोज पूर्व धमकी दी तब वादीगण ने प्रतिवादीगण को उपरोक्त भूमि का मौके पर काबिज काश्त के अनुसार कानूनी बंटवारा कराने व उसका राज लगान निर्धारण करवाने हेतु कहा तो उससे भी प्रतिवादीगण इनकार हो गये बल्कि वादीगण को उसके कब्जे काश्त की भूमि से जबरन बेदखल करने व बिना बंटवारा कराये विशिष्ट भू–भाग पर पुख्ता निर्माण कार्य करने व भूमि को अन्य दीगर को रहन विक्रय हस्तान्तरण करने व उसका स्थानान्तरण डीड प्रतिवादीगण सं0–10 के कार्यालय से पंजीकरण करवाने की धमकी दी इसलिये वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक आया। यहकि ऐसी स्थिति में वादीगण का प्रतिवादीगण के सम्मलित में काबिज रहकर काश्त करना संभव नहीं रहा है इसलिये वादीगण अपने हिस्से का कानूनी बंटवारा करवाना व उसका पृथक से राज लगान निर्धारण करवाना चाहते है जिसके लिये भी वाद पत्र पेश है। यहकि यदि प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो वे प्रश्नगत भूमि से वादीगण को उसके हिस्से से जबरन बेदखल कर स्वंय कब्जा करने व बिना कानूनी बंटवारा कराये आराजी के विशिष्ट भु–भाग पर पुख्ता निर्माण कार्य करने व अन्य दीगर को रहन विक्रय हस्तान्तरण करने व उसका स्थानान्तरण डीड प्रतिवादी सं0–10 के कार्यालय में पंजीकरण करवाने व प्रतिवादी सं0–11 से राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करवाने में सफल हो जावेगे जिससे वादीगण को अकथनीय हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी धनराशि में नहीं की जा सकेगी व आवश्यक मुकदमें बाजी बढ़ेगी। यहकि इस वाद के विवाद का कारण वाद पत्र की खण्ड सं0–1 में वर्णित भूमि के इस खण्ड में वर्णित हिस्से अनुसार वादीगण खातेदार काश्तकार होने व खण्ड सं0–2 में वर्णित अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण आपसी सहमति अनुसार मौके पर पृथक पृथक काबिज होने की व खण्ड सं0–4 लगायत 6 में वर्णित अनुसार वादीगण के हिस्से से प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध नहीं होने व प्रतिवादीगण द्वारा धमकी देने व खण्ड

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राज.

उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

सं0–6 में वर्णित अनुसार वादीगण कानूनी बंटवारा कराने व राज लगान निर्धारण कराने कराने के अधिकारी होने के फलस्वरूप उत्पन्न होकर अन्दर अवधि पेश है।

अन्त में निवेदन किया कि हाल आराजी खसरा नं0–339 रकबा 1.8200 कुल किता–1 कुल रकबा 1.8200 है० वाके ग्राम रघुनाथपुरा, पटवार हल्का साईवाड, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर का वादीगण व प्रतिवादी सं0–1 लगायत 9 के मध्य उनके हिस्सो के अनुसार राजस्व मण्डल के नियमो के अनुसार व मौके पर काबिज काश्त के अनुसार कानूनी बंटवारा कराया जाकर उसका पृथक से राज लगान निर्धारित किया जावे। जिसका अमल दरामद हाल राजस्व रिकार्ड व नक्शा ड्रेस में कराया जाकर वादी के नाम पृथक से खातेदारी दर्ज कराई जावे। यहकि वाद बंटवारा वादीगण के हिस्से व बंटवारे में आयी भूमि के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण उनके नौकर, प्रतिनिधि, एजेन्ट, स्थानापन्नो व अन्य परिवारजन को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से सदैव के लिये पाबन्द फरमाया जावे कि वादी के हिस्से व कब्जे में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करे बल्कि वादी को शांति पूर्वक काबिज रहकर उपयोग उपभोग करने दे प्रतिवादीगण उपरोक्त भूमि या इसके किसी भाग से वादीया को जबरन बेदखल नहीं करे न किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण ही करे, एवं न ही उक्त भूमि या इसके किसी भाग को अन्य दीगर को रहन विक्रय हस्तान्तरण ही करे न किसी स्थानान्तरण डीड का पंजीकरण ही करावे न करे मौके व रिकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 की ओर से अधिवक्ता श्री राकेश मोहन शर्मा एवं अंकित शर्मा ने वकालतनामा पेश कर जवाब दावा पेश किया। वकील उभयपक्ष को प्राथमिक डिक्री पर सुना गया। मूल वाद बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा का होने से दावा दिनांक 16.06.2025 को प्राथमिक किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को कुर्रेजात रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा के पत्रांक/भू0अ0/2025/4244 दिनांक 27.06.2025 के द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर वकील प्रतिवादी ने प्रार्थना–पत्र बाबत् आपत्ति कुर्रेजात रिपोर्ट पेश किया। वकील वादी ने प्रार्थना–पत्र बाबत् आपत्ति कुर्रेजात का जवाब पेश नहीं कर सीधी बहस की एवं दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने हेतु निवदेन किया। वकील प्रतिवादी ने कथन किया कि प्रार्थना–पत्र बाबत् आपत्ति कुर्रेजात में वर्णित तथ्य ही मेरी बहस है एवं कुर्रेजात रिपोर्ट अपास्त की जाकर पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट मंगवाये जाने हेतु निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राज.

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र बाबत् आपत्ति कुर्रेजात में वर्णित तथ्यों के अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट बनाते समय तहसीलदार शाहपुरा स्वयं मौके पर उपस्थित नहीं रहे है एवं कुर्रेजात रिपोर्ट पर काउण्टर हस्ताक्षर किये है। कुर्रेजात रिपोर्ट सभी पक्षकारों की उपस्थिति में नहीं बनाई गई है। कुर्रेजात रिपोर्ट में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 9 को जो भूमि दी जाने का वर्णन किया गया है उस भूमि में आवागमन हेतु किसी तरह का कोई रास्ता नहीं दिया गया है जबकि माननीय न्यायालय द्वारा रास्ते को दृष्टिगत रखते हुए कुर्रेजात रिपोर्ट पेश करने हेतु आदेश पारित किया गया है इस कारण कुर्रेजात रिपोर्ट अपास्त किये जाने योग्य है। वकील वादी ने अपनी सीधी बहस में कथन किया कि कुर्रेजात रिपोर्ट राजस्व मण्डल अजमेर के बंटवारा नियमों के अनुरूप बनाई गई है। तहसीलदार शाहपुरा के कुर्रेजात रिपोर्ट पर काउण्टर हस्ताक्षर नहीं है। तहसीलदार शाहपुरा स्वयं मौके पर उपस्थित रहे है एवं नियमानुसार कुर्रेजात रिपोर्ट बनाई गई है। वकील वादी ने अपनी सीधी बहस के दौरान इकरारनामा व उक्त विवादग्रस्त आराजीयात के लगते आराजी खसरा नंबर 337 की जमाबंदी पेश कर कथन किया कि प्रतिवादीगण के पिता/पति के द्वारा एक इकरारनामा किया गया था कि "आराजी खसरा नंबर 339 रकबा 1.82 है0 में प्रतिवादीगण के पिता/पति का 3/5 भाग हिस्सा है। इस भूमि को हमनें बाहमी मनबट से बंटवारा कर रखा है इस भूमि में मेरा हिस्सा पिछे की तरफ है और शंकरलाल पुत्र वैद्यनाथ पारिक का हिस्सा 2/5 भाग साईवाड से बाडीजोडी रोड के पास वाला है। अब इस भूमि को शंकरलाल पुत्र श्री वैद्यनाथ पारीक अपने हिस्से का बेचान करता है तो इसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा और यदि इसके द्वारा बेचान करने के बाद केता इस भूमि पर अपना कब्जा रोड साईड में करता है तो इसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। इस भूमि को केता जब भी अपने हिस्से का बंटवारा करवायेगा तो उसका हिस्सा रोड साइड में होगा और इसमें मुझे व मेरे वारिसान या उत्तराधिकारी आदि को कोई एतराज नहीं होगा और ना ही इस भूमि में मेरा कोई ताल्लुक या वास्ता रहेगा।" साथ ही वकील वादी ने कथन किया कि आराजी खसरा नंबर 337 रकबा 0.1700 है0 वाकै ग्राम रधुनाथपुरा, पटवार हल्का साईवाड, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, जो कि प्रतिवादीगण की भूमि है के समीप/लगता हुआ उक्त विवादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 339 रकबा 1.82 है0 वाकै ग्राम रधुनाथपुरा, पटवार हल्का साईवाड, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर है एवं उक्त खसरा नंबर 337 से 339 में आने जाने हेतु रास्ता है। अतः कुर्रेजात रिपोर्ट नियमानुसार बनाई जाने से आपत्ति प्रार्थना–पत्र कुर्रेजात रिपोर्ट खारिज फरमाये जाने योग्य है एवं दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राज.

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन एवं वाद अवलोकन पत्रावली यह जाहिर होता है कि प्रकरण में प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट पर तहसीलदार शाहपुरा के काउण्टर हस्ताक्षर नहीं होकर तहसीलदार शाहपुरा के स्वयं के हस्ताक्षर है एवं वकील वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण के पिता/पति के द्वारा जो इकरारनामा किया गया है, जो कि बहस के तथ्यों में वर्णित किया गया है, में भी प्रतिवादीगण के पिता/पति के द्वारा उक्त भूमि का कब्जा केता रोड साईड रखता है तो कोई आपत्ति ऐतराज नहीं होना इकरानामें में इंगित किया गया है एवं आराजी खसरा नंबर 337 जो कि प्रतिवादीगण की भूमि है के समीप/लगता हुआ आराजी खसरा नंबर 339 है जिसमें आने जाने हेतु रास्ता है। अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप वकील प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र बाबत् आपत्ति कुर्रेजात रिपोर्ट सारहीन होने से खारिज किया जाता है एवं कुर्रेजात रिपोर्ट नियमानुसार सही प्रतित होने से दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा नं0–339 रकथा 1.8200 कुल किता–1 कुल रकबा 1.8200 है० वाके ग्राम रघुनाथपुरा, पटवार हल्का साईवाड, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर राज० के खातेदारान के मध्य बंटवारा कर पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है –

1. कैलाश कुमावत पुत्र मदनलाल कुमावत हि0 1/2, लक्ष्मी देवी प्रजापत पत्नि कैलाश कुमावत हि0 1/2 जाति कुमावत सा0 बाडीजोड़ी के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 339/1 रकबा 0.7280 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.7280 है0 भूमि रहेगी।
2. अनोप देवी पत्नि हनुमान हि0 1/9 जाति ब्राह्मण राहिन हि0 1/9 ओ.बी.सी. बैंक शाखा शाहपुरा, दयावती पुत्री हनुमान हि0 1/9 जाति ब्राह्मण राहिन हि0 1/9 ओ.बी.सी. बैंक शाखा शाहपुरा, पिंकी पुत्री हनुमान हि0 1/9 जाति ब्राह्मण राहिन हि0 1/9 ओ.बी.सी. बैंक शाखा शाहपुरा, बुगला पुत्री हनुमान हि0 1/9 जाति ब्राह्मण राहिन हि0 1/9 ओ.बी.सी. बैंक शाखा शाहपुरा, मनभर पुत्री हनुमान हि0 1/9 जाति ब्राह्मण राहिन हि0 1/9 ओ.बी.सी. बैंक शाखा शाहपुरा, राकेश पुत्र हनुमान हि0 1/9 जाति ब्राह्मण राहिन हि0 1/9 ओ.बी.सी. बैंक शाखा शाहपुरा, लीलाधर पुत्र हनुमान हि0 1/9 जाति ब्राह्मण राहिन हि0 1/9 ओ.बी.सी. बैंक शाखा शाहपुरा, सुमन पुत्री हनुमान हि0 1/9 जाति

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राज.

ब्राह्मण राहिन हि0 1/9 ओ.बी.सी. बैंक शाखा शाहपुरा, हंसा पुत्री हनुमान हि0 1/9 जाति ब्राह्मण राहिन हि0 1/9 ओ.बी.सी. बैंक शाखा शाहपुरा के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 339/2 रकबा 1.0920 कुल किता 1 कुल रकबा 1.0920 है0 भूमि रहेगी।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। वादीगण /प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें । पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 24/12/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरै इजलास सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राज.

(संजीव कुमार खेदर, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा
जिला जयपुर